आदर्श शिक्षा प्रसार समिति, दौसा

तुलनात्मक स्टेटमेन्ट

विधान कमांक 4 में संशोधन

पूर्व	संशोंधित
संस्था की प्रबन्ध कार्यकारिणी को सुचारू रूव से चलाने के लिए निम्न पदाधिकारी व सदस्य होगे।	संस्था की प्रबन्ध कार्यकारिणी को सुचारू रूव से चलाने के लिए निम्न पदाधिकारी व सदस्य होगे।
अध्यक्ष–1	अध्यक्ष–1
मंत्री–1	मंत्री–1
उपाध्यक्ष–1	उपाध्यक्ष–1
कोषाध्यक्ष–1	कोषाध्यक्ष–1
सदस्य –6	सदस्य –12
इस प्रकार प्रबन्ध कार्यकारिणी में 4 पदाधिकारी व 6 सदस्य कुल 10 होगे।	इस प्रकार प्रबन्ध कार्यकारिणी में 4 पदाधिकारी व 12 सदस्य कुल 16 होगे।

कोषाध्यक्ष मंत्री अध्यक्ष

AMENDMENT
REGISTERED THIS DAY THE 15/06 OF 2006

आदर्श शिक्षा प्रसार समिति, दौसा

तुलनात्मक स्टेटमेन्ट

पूर्व कार्य क्षेत्र : जिला दौसा

प्रस्तावित कार्यक्षेत्र : समस्त राजस्थान

पूर्व उद्देश्य : इस संस्था का उद्देश्य इसके द्वारा संचालित शिक्षण करने वाले बालक–बालिकाओं को भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के आधार पर शिक्षा एवं प्रशिक्षा देते हुए उनका शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास करना होगा ।

जोडे गये उद्देश्य :

1. साधनविहिन एवं अनाथ बालक/बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना एवं सामाजिक मुख्यधारा में जोडना ।
2. राष्ट्रीयता की भावना जागृत करना एवं पर्यावरण एवं प्रदूषण के प्रति जागृति पैदा कर इसको स्वच्छ बनाना।
3. जिला ग्रामीण विकास एवं अभिकरण से संचालित योजनाओं को लागू करना जैसे स्काईट एवं ट्राईसेम योजना।
4. नशा मुक्ति एवं समाज में फैली बुराईयों मृत्यु भोज, बाल विवाह आदि का निवारणकरना ।
5. निर्धन, असहाय, बेसहारा एवं गरीब बच्चों को समुचित सहायता तथा पोष्टिक आहार उपलब्ध कराना ।
6. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों को संचालित करना एवं इसकी सलाह देना।

कोषाध्यक्ष | मंत्री | अध्यक्ष

7. मुर्गी पालन , डेयरी योजना, पर्यावरण , वृक्षा रोपण आदि कार्यो के लिए प्रेरित एवं प्रशिक्षित करना ।

8. केन्द्र सरकार, राज्य सरकार , समाज कल्याण बोर्ड, स्वास्थ्य विभाग महिला एवं बाल कल्याण विभाग एवं विदेशों से सहायता एवं अनुदान प्राप्त करना तथ्ज्ञा इनके कार्यक्रमों का संचालन करना।

9. सामाजिक रूप से पिछड़ी जातियों हरिजन, विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं विकलांगों वृद्वों एवं अल्प संख्यकों के लिए योजनाओं का संचालन करना ।

10. सरकारी, अर्द्वसरकारी गैर सरकारी सेवा में अल्प संख्यक व सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछडे वर्गो को प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित करना तथा उनके उत्थान के लिए कोचिंग प्रशिक्षण प्रारम्भ करना ।

11. विश्व बैंक की सहायता से चलने वाले कार्यक्रमों का संचालन कर समाज का उत्थन करना एवं असाध्य बीमारियों क्षय, केंसर एड्स कुष्ठ आदि के उनमूलन के लिए प्रभावी कार्यक्रमों का संचालन करना तथा सरकारी , गैर सरकारी कार्यालयों में अनुबंध पर कर्मचारी लगाना ।

कोषाध्यक्ष | मंत्री | अध्यक्ष

AMENDMENT 15/06/2006
REGISTERED THIS DAY THE ... OF ...

(1) संस्था का पंजीयन क्रमांक 13/दौसा/92-93
(2) संस्था का नाम आदर्श शिक्षा प्रसार समिति दौसा
(3) जिला ...
(4) दस्तावेज की संख्या ...
(5) दिनांक पंजीयन ...
(6) हस्ताक्षर रजिस्ट्रार ...

प्रमाणित किया जाता है कि यह सत्य प्रति है।
नकल तैयार करने की तिथि 24.6.92
नकल देने की तिथि 24.6.92
रजिस्ट्रार संस्थाएं दौसा

5 हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता जिनके नाम, व पते व व्यवसाय निम्न प्रकार है इस संघ विधान के अनुसार इस संस्था के रूप में गठित होने व इसे रजिस्ट्रीकृत कराने के इच्छुक हैं:-

क्रमांक	नाम	आयु	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
1-	श्री [illegible]	32 वर्ष	व्यापार	शिवकॉलोनी, दौसा	(हस्ताक्षर)
2-	श्री [illegible] शर्मा	70 वर्ष	सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य	ग्राम पो. बसवा तह0 बसवा जिला दौसा	(हस्ताक्षर)
3-	श्री प्रभुनारायण शर्मा	68 वर्ष	अभिभाषक	व्यास मोहल्ला दौसा	
4-	श्री श्रीचन्द शर्मा	30 वर्ष	अभिभाषक	शिव कॉलोनी, दौसा	(हस्ताक्षर)
5-	श्री नाथूलाल शर्मा	52 वर्ष	सेवानिवृत्त व्याख्याता	व्यास मो0 दौसा	(हस्ताक्षर)
6-	श्री बाबूलाल शर्मा	48 वर्ष	अध्यापनकार्य	शिवकॉलोनी, दौसा	(हस्ताक्षर)
7-	श्री जगदीश शर्मा	30 वर्ष	राज्य कर्मचारी	ग्रा.पो. दौसा	(हस्ताक्षर)
8-	श्री मोतीलाल शर्मा	38 वर्ष	अभिभाषक	गुप्तेश्वर रोड, दौसा	(हस्ताक्षर)
9-	श्री प्यारेलाल शर्मा	35 वर्ष	-	[illegible]	(हस्ताक्षर)
10-	श्री ज्योतिस्वरूप शर्मा	26 वर्ष	आयुर्वेद चिकित्सक	शिवकॉलोनी, दौसा	(हस्ताक्षर)

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ताओं को हम जानते हैं व इन्होंने हमारे समक्ष अपने हस्ताक्षर किये हैं।

हस्ताक्षर
[नाम, व्यवसाय, पता]

हस्ताक्षर
[नाम, व्यवसाय, पता]

मंत्री
आदर्श शिक्षा प्रसार समिति
दौसा

कोषाध्यक्ष
आदर्श शिक्षा प्रसार समिति
जिला दौसा

अध्यक्ष
आदर्श शिक्षा प्रसार समिति
जिला दौसा

TRUE-COPY ATTESTED
NOTARY PUBLIC
Distt. DAUSA

(1)

आदर्श शिक्षा प्रसार समिति दौसा (राजस्थान) का संघ विधान पत्र

1- संस्था का नाम- इस संस्था का नाम आदर्श शिक्षा प्रसार समिति दौसा (राजस्थान) है व रहेगा।

2- पंजीकृत कार्यालय- इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय राजस्थान राज्य के दौसा जिला के दौसा नगर में जिसका कि डाकघर दौसा में है में रहेगा कार्यक्षेत्र दौसा जिला रहेगा।

3- संस्था के उद्देश्य- इस संस्था का उद्देश्य इसके द्वारा संचालित शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थाओं में शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले बालक बालिकाओं को भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के आधार पर शिक्षा एवं प्रशिक्षण देते हुए उनका शारीरिक बौद्धिक एवं मानसिक विकास करना होगा।

4- संस्था का कार्यभार- संस्था की नियमानुसार ~~निर्वाचित~~ कार्यकारिणी समिति को सौंपा गया है जिसके प्रथम वर्तमान सदस्य निम्नलिखित हैं:-

क्र.सं.	नाम	आयु	पिता का नाम	व्यवसाय एवं पूर्ण पता	पद
1-	श्री प्रभुदयाल शर्मा	32 वर्ष	श्री बद्रीप्रसाद शर्मा	व्यापार, शिवकॉलोनी दौसा	अध्यक्ष
2-	श्री श्याम सुन्दर शर्मा	70 वर्ष	श्री विशम्भर दयाल शर्मा	सेवानिवृत प्रधानाचार्य, ग्रा.पो. बसवा तह0 बसवा	उपाध्यक्ष
3-	श्री प्रभुनारायण शर्मा	48 वर्ष	श्री रामस्वरूप शर्मा	अभिभावक, व्यास मोहल्ला	मन्त्री
4-	श्री बृद्धि चन्द शर्मा	30 वर्ष	श्री बद्रीप्रसाद शर्मा	अभिभावक, शिवकॉलोनी, दौसा	कोषाध्यक्ष
5-	श्री नाथूलाल शर्मा	52 वर्ष	श्री मूलचन्द शर्मा	सेवा निवृत व्याख्याता, व्यास मोहल्ला, दौसा	सदस्य
6-	श्री बाबूलाल शर्मा	48 वर्ष	श्री बद्रीप्रसाद शर्मा	अध्यापन कार्य, शिव कॉलोनी, दौसा	सदस्य
7-	श्री जगदीश शर्मा	30 वर्ष	श्री हरसहाय लाटा	राज्य कर्मचारी दौसा	सदस्य
8-	श्री मोतीलाल शर्मा	38 वर्ष	श्री हरगोविन्द शर्मा	अभिभावक, गुप्तेश्वर रोड दौसा	सदस्य
9-	श्री प्यारेलाल शर्मा	35 वर्ष	श्री बद्रीप्रसादजी शर्मा	शिवकॉलोनी, दौसा	सदस्य
10-	श्री ज्योतिस्वरूप शर्मा	26 वर्ष	श्री बद्रीप्रसाद शर्मा	आयुर्वेद चिकित्सक, शिवकॉलोनी, दौसा	सदस्य

मंत्री
आदर्श शिक्षा प्रसार समिति
जिला दौसा

कोषाध्यक्ष
आदर्श शिक्षा प्रसार समिति
जिला दौसा

अध्यक्ष
आदर्श शिक्षा प्रसार समिति
जिला दौसा

NOTARY
TRUE-COPY
NOTARY PUBLIC
Distt. DAUSA

आदर्श शिक्षा प्रसार समिति (राजस्थान) का विधान (नियमावली)

अधिकरण (1)

इस समिति का नाम आदर्श शिक्षा प्रसार समिति, दौसा (राजस्थान) रहेगा।

अधिकरण (2)

इसका मुख्य केन्द्र राजस्थान राज्य के दौसा नगर में रहेगा।

अधिकरण (3) उद्देश्य

आदर्श शिक्षा प्रसार समिति दौसा का उद्देश्य इसके द्वारा संचालित विद्यालयों में शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के आधार पर शिक्षा देते हुए उनका शारीरिक, बौद्धिक एवं मानसिक विकास करना रहेगा।

अधिकरण (4) (निर्वाचन)

(क) आदर्श शिक्षा प्रसार समिति, दौसा (राजस्थान) का एक कार्यकारी मण्डल रहेगा।

(ख) कार्यकारी मण्डल के सदस्यों की संख्या प्रधानाचार्य सहित 15 से अधिक नहीं होगी इसका वर्गीकरण निम्न प्रकार से रहेगा।

अ- 9 सदस्य मतदाताओं में से होंगे, जिनमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री तथा कोषाध्यक्ष का निर्वाचन होगा।

आ- दो सदस्य अभिभावक एवं संरक्षकों में से होंगे।

इ- प्रधानाचार्य एवं एक अन्य सदस्य अध्यापकों का प्रतिनिधि होगा।

ई- एक सदस्य का नियोजन शिक्षा विभाग के अध्यक्ष द्वारा होगा।

उ- अध्यक्ष मंत्री के परामर्श से एक ऐसे सदस्य को नियुक्त करेंगे जो समाज में अपनी विशिष्ट महत्वपूर्ण स्थिति के कारण आदर्श शिक्षा प्रसार समिति के कार्य में सहायक सिद्ध हो सकता हो।

मंत्री
आदर्श शिक्षा प्रसार समिति

कोषाध्यक्ष
आदर्श शिक्षा प्रसार समिति
जिला दौसा

अध्यक्ष
आदर्श शिक्षा प्रसार समिति
जिला दौसा

NOTARY
Man Mohan Sharma
Advocate
DISTT. DAUSA (RAJ.)

TRUE-COPY
NOTARY PUBLIC
Distt. DAUSA

-3-

(ग) कार्यकारी-मण्डल का कार्यकाल 3 वर्ष रहेगा ।

(घ)-निर्वाचन की तिथि एवं स्थान, कार्यकारी मण्डल द्वारा निर्धारित होंगे ।

<u>अधिकरण (5) मतदाताओं, प्रत्याशियों एवं नियोग्यों की योग्यताऐं-</u>

1- अधिकरण (4) (ख) में वर्णित सदस्यों के निर्वाचन के लिए उन व्यक्तियों को मताधिकार होगा, जिनके लिए कार्यकारी मण्डल अपनी सहमति प्रकट करें तथा जिन्होंने निर्वाचन सूची बनने की तिथि सेपूर्व-

(क)- आदर्श शिक्षा प्रसार समिति कोष में कम से कम 101/-रूपये एक साथ दान स्वरूप जमा कराये हों । ये व्यक्ति प्रबन्ध समिति के आजीवन सदस्य होंगें ।

(ख) आदर्श शिक्षा प्रसार समिति कोष में 51/-रूपये एक साथ दान स्वरूप देने वाले व्यक्ति समिति के साधारण सदस्य होंगे साधारण सदस्यों एवं कार्यकारी मण्डल के कार्यकाल की अवधि साथ साथ ही समाप्त होगी ।

2- <u>प्रत्याशी एवं नियोग्य</u>

(क) संस्थापक सदस्यों को छोड़कर वे सज्जन जो किसी भी राजनैतिक दल के पदाधिकारी हैं जब तक वे उस पद पर अधिष्ठित हैं आदर्श शिक्षा प्रसार समिति के किसी भी पद के लिए प्रत्याशी नहीं हो सकेंगें ।

(ख) अधिकरण (5) (1) में वर्णित सदस्यों को ही निर्वाचन के प्रत्याशी बनने का अधिकार होगा ।

(ग) समिति द्वारा संचालित संस्थाओं में कार्य करने वाले वैतनिक अथवा अन्य प्रकार की आर्थिक सहायता पाने वाले व्यक्ति प्रत्याशी नहीं हो सकेंगें ।

<u>अधिकरण (6) (क)</u>

कार्यकारी मण्डल के पदाधिकारी निम्नलिखित रहेंगे:-

(1) अध्यक्ष, (2) उपाध्यक्ष, (3) मन्त्री, (4) कोषाध्यक्ष

(ख) ~~अधिकरण (5) में वर्णित~~ सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मन्त्री व कोषाध्यक्ष का [illegible] करेंगे ।

TRUE COPY

मंत्री
आदर्श शिक्षा प्रसार समिति
(जिला दौसा)

अध्यक्ष
[illegible] प्रसार समिति

(ग) निर्वाचित अध्यक्ष अपने चुनाव के पश्चात् मंत्री की सहमति से [illegible] सदस्यों को अधिकरण 5 में वर्णित सदस्यों में से मनोनीत [illegible]

[illegible] के हित की दृष्टि से कार्यकारी-मण्डल के निर्वाचित सदस्य, प्रधानाचार्य की सम्मति से ऐसे एक अध्यापक को मनोनीत करेंगे जो स्थायी हो।

अधिकरण-(7)

(क)- कार्यकारी मण्डल उसके द्वारा संचालित शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्था, संस्थाओं की सर्वोच्च कार्यकारिणी सत्ता है और इस नाते यह संस्थाओं की नीति को निर्धारित कर उनको कार्यान्वित करेगी।

(ख)- शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थाओं के कार्य के समुचित संचालन के लिए इस विधान के अनुरूप नियमों व उपनियमों की रचना करेगी।

(ग)- कार्यकारी-मण्डल का कार्यक्रम 3 वर्ष रहेगा। इसकी दो बैठकों में तीन महीनों की अवधि से अधिक समय व्यतीत नहीं होगा।

(घ)- अधिकरण (5) (स) में वर्णित पदाधिकारियों के अतिरिक्त यदि कोई भी सदस्य अध्यक्ष की बिना अनुमति से कार्यकारी मण्डल की लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहेगा तो अध्यक्ष को मंत्री के परामर्श से उसे हटा कर किसी दूसरे सदस्य को मनोनीत करने का अधिकार होगा।

(ङ)-साधारण बैठक की सूचना कम से कम 7 दिन पूर्व तथा असाधारण बैठक की सूचना 12 घण्टे पूर्व दी जायेगी।

कार्यकारी-मण्डल के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य निम्न रूपेण रहेंगे-

अध्यक्ष

अधिकरण (7)

1- संस्था के सुचारु रूप से संचालन हेतु अध्यक्ष, आदर्श शिक्षा प्रसार समिति दौसा को उन सभी कार्यकलाप एवं गतिविधियों जो कि संस्था के हित में होगी के सम्पन्न करवाने देखरेख करने, निरीक्षण करने, समुचित

मंत्री
आदर्श शिक्षा प्रसार समिति
जिला दौसा

कोषाध्यक्ष
आदर्श शिक्षा प्रसार समिति
जिला दौसा

अध्यक्ष
आदर्श शिक्षा प्रसार समिति
जिला दौसा

TRUE-COPY
NOTARY PUBLIC
Distt. DAUSA

Advocate
DISTT. DAUSA (RAJ.)

मार्गदर्शन करने एवं अपना परामर्श देने का पूर्ण अधिकार रहेगा । [illegible] समय समय पर संस्था के प्रधानाचार्य एवं अध्यापक को उचित आदेश प्रदान कर सकेंगे ।

2- समय समय पर आयोजित समिति की बैठकों की अध्यक्षता करते हुए उनका संचालन करेंगे एवं विवाद होने की स्थिति में अपना निर्णायक मत देंगे ।

3- अध्यापक एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा मुक्ति के आदेश अध्यक्ष के हस्ताक्षरों से ही प्रसारित होने पर वैध माने जावेंगे । परन्तु इनके लिए अध्यक्ष को कार्यकारी मण्डल के पदाधिकारियों की स्पष्ट सहमति लेना अनिवार्य होगा । कर्मचारियों की अस्थाई नियुक्ति अध्यक्ष एवं मंत्री पारस्परिक परामर्श द्वारा कर सकेंगे ।

4- दो सौ रूपये से अधिक के वाउचर्स अध्यक्ष और मंत्री के हस्ताक्षर होने पर ही कोषाध्यक्ष द्वारा भुगतान किये जा सकेंगे ।

<u>अभिकरण-6</u> <u>मन्त्री</u>

1- संस्था की दैनंदिन चलने वाली पाठ्य एवं पाठ्येत्तर गतिविधियों को देखभाल करते हुए संस्था के सर्वांगीण विकास के लिए प्रधानाचार्य एवं अध्यापकगण को अपना समुचित परामर्श देंगे तथा इनकी कार्यान्वित हेतु आदेश प्रदान कर सकेंगे ।

2- समय समय पर समिति की बैठकों का आयोजन करेंगे ।

3- कर्मचारियों के कार्य व्यवहार आदि का विवरण मन्त्री द्वारा कार्यकारी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा । यदि संस्था के कर्मचारियों में कोई अनुशासनहीनता का मामला पाया जाय तो मंत्री कार्यकारी मण्डल के समक्ष उसकी पूरी जानकारी देंगे तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु परामर्श देंगे । यदि कार्यकारी मण्डल द्वारा येचित समझा गया तो इसके समाधान हेतु एक समिति का गठन भी किया जा सकता है ।

4- दो सौ रूपये से कम के वाउचर्स अध्यक्ष या मंत्री दोनों में से किसी एक द्वारा हस्ताक्षरित होने पर कोषाध्यक्ष द्वारा भुगतान किये जा सकेंगे ।

मंत्री
आदर्श शिक्षा प्रसार समिति
जिला दौसा

कोषाध्यक्ष
आदर्श शिक्षा प्रसार समिति
जिला दौसा

अध्यक्ष
आदर्श शिक्षा प्रसार समिति
जिला दौसा

TRUE-COPY
NOTARY PUBLIC
Distt. DAUSA

5- संस्था के आय व्यय के विस्तृत वृत्त की जानकारी प्राप्त कर कार्यकारी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत कर सकेंगे।

उपाध्यक्ष

अधिकार

1- अध्यक्ष की अनुपस्थिति या त्यागपत्र की स्थिति में उपाध्यक्ष वे सभी कार्य कर सकेंगे जो उपर्युक्त अधिकार (1) से (5) तक वर्णित हैं। इनमें वित्तीय अधिकारों का उपाध्यक्ष द्वारा तभी उपयोग होगा जबकि अध्यक्ष द्वारा स्पष्ट लिखित रूप से इस सम्बन्ध में निर्देश दिया गया हो अथवा कार्यकारी- मण्डल के सदस्य प्रस्ताव पारित कर उन्हें तत्सम्बन्धी वित्तीय अधिकार प्रदान कर दें।

कोषाध्यक्ष

अधिकार (10-)

1- संस्था के आय व्यय का सम्पूर्ण विवरण कोषाध्यक्ष रखेंगे।

2- बैंक में जमा संस्थाकी धनराशि कोषाध्यक्ष और अध्यक्ष या मन्त्री के हस्ताक्षरोंसे ही प्राप्त की जा सकेगी।

3- समय समय पर कार्यकारी मण्डल के समक्ष संस्था की वित्तीय स्थिति की जानकारी कोषाध्यक्ष द्वारा दी जायेगी।

4- कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष या मंत्री के हस्ताक्षरित वाउचर का ही भुगतान कर सकेंगे।

5- कर्मचारियों के वेतन बिल पर अध्यक्ष एवं मंत्री के साथ कोषाध्यक्ष के भी हस्ताक्षर होंगे।

6- संस्था के विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त कार्य का सम्पूर्ण द्रव्य कोषाध्यक्ष के पास जमा करवाना अनिवार्य होगा।

7- आय व्यय सम्बन्धी विवाद उपस्थित होने पर अध्यक्ष या मन्त्री अथवा दोनों स्वयं उस मामले की जानकारी प्राप्त कर कार्यकारी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और यदि आवश्यक हुआ तो विवाद के निर्णय या हल के लिए कार्यकारी मण्डल द्वारा एक समिति गठित की जा सकेगी जिसके निर्णय को मानने या न मानने का अधिकार पूर्ण रूप से कार्यकारी मण्डल को होगा।

मंत्री
आदर्श शिक्षा प्रसार समिति
जिला दौसा

कोषाध्यक्ष
आदर्श शिक्षा प्रसार समिति
जिला दौसा

अध्यक्ष
आदर्श शिक्षा प्रसार समिति
जिला दौसा

TRUE COPY
NOTARY PUBLIC
Distt. DAUSA

अधिकरण-11

(अ) हर प्रकार के दान आदि जो कि आदर्श शिक्षा प्रसार समिति को प्राप्त होंगे समिति की निधि में संचित होंगे ।

(ब)- छात्रों से प्राप्त हर प्रकार के शुल्क समिति की निधि में संचित होंगे

(स) सरकारी अथवा अन्य आय भी निधि में संचित होगी ।

अधिकरण (12) गणपूरक

1- कार्यकारी मण्डल के लिए गणपूरक संख्या का एक तिहाई रहेगा । परन्तु यदि वह बैठक गणपूरक के अभाव में पहली बार स्थगित होकर दुबारा रखी गई तो गणपूरक न होने पर भी निर्णय लिये जा सकेंगे ।

2- मतदाता सदस्यों की बैठक वर्ष में एक बार हुआ करेगी । यह साधारण सभा कहलायेगी इसलिए गणपूरक कुल संख्या का पांचवा हिस्सा अथवा कम से कम 10 रहेगा तथा उपरोक्त नियम उसमें भी लागू रहेंगे ।

अधिकरण (13) विधान की व्यवस्था एवं संशोधन

क- इस संविधान के सभी अधिकरणों की कार्यकारी मण्डल द्वारा दी गई व्याख्या प्रमाणित मानी जावेगी ।

ख- यह संविधान सभी सदस्यों की सामूहिक बैठक में उपस्थित साधारण सदस्यों के दो तिहाई मतों से संशोधित किया जा सकेगा ।

अधिकरण (14)

1- ऐसे सदस्यों को जो विद्यालय के हित की दृष्टि से क्रियाशील सहयोग नहीं देते हैं उन्हें प्रबन्ध समिति के उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहु बहुमत से प्रबन्ध समिति की सदस्यता से मुक्त किया जा सकता है ।

2- विद्यालय के कार्यकारी मण्डल व साधारण सभा द्वारा निर्धारित नीति व कार्यक्रम के क्रियान्वयन का दायित्व मंत्री का होगा और उन सब कार्यों की सामान्य देख रेख अध्यक्ष द्वारा की जावेगी ।

मंत्री
आदर्श शिक्षा प्रसार समिति
जिला दौसा

कोषाध्यक्ष
आदर्श शिक्षा प्रसार समिति
जिला दौसा

अध्यक्ष
आदर्श शिक्षा प्रसार समिति
जिला दौसा

NOTARY
Man Mohan Sharma
Advocate
DAUSA (RAJ.)

TRUE-COPY
NOTARY PUBLIC
Distt. DAUSA

अधिकरण (15)

---

(1)- राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 12 के अनुसार परिवर्तन सम्बन्धी प्रावधान एवं धारा 13 से 14 विघटन सम्बन्धी प्रावधान इस संस्था को मान्य है ।

(2)- रजिस्ट्रार संस्थाएं राजस्थान जयपुर को संस्था के निरीक्षण का पूर्ण अधिकार होगा तथा उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगा ।

हम निम्नहस्ताक्षरकर्ता यह प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त आदर्श शिक्षा प्रसार समिति दौसा के विधान की यह सही व सच्ची प्रतिलिपि है ।

अध्यक्ष
आदर्श शिक्षा प्रसार समिति
जिला दौसा

कोषाध्यक्ष
आदर्श शिक्षा प्रसार समिति
जिला दौसा

मंत्री
आदर्श शिक्षा प्रसार समिति
जिला दौसा

(1) संस्था का पंजीयन क्रमांक 13/दौसा/92-93
(2) संस्था का नाम आदर्श शिक्षा प्रसार समिति दौसा
(3) किस्म ... साधे नियमावली
(4) दस्तावेज की संख्या ... आठ
(5) दिनांक पंजियन ... 18.6.92
(6) हस्ताक्षर रजिस्ट्रार ...

प्रमाणित किया जाता है कि यह सत्य प्रति है ।

हस्ताक्षर पढने वाले ...
हस्ताक्षर मिलाने वाले ...
नकल ... पत्र देने की तिथि दि 23.6.92
नकल ... का दि ... 24.6.92
नकल ... दे ... 24.6.92

रजिस्ट्रार संस्थाएं
दौसा

अध्यक्ष
आदर्श शिक्षा प्रसार समिति
जिला दौसा

TRUE COPY
NOTARY PUBLIC
Distt. DAUSA